

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधानों के आलोक में राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियां, गया एवं भागलपुर में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) की स्थापना की गई है।

2. प्राधिकार के दैनंदिनी कार्यों के सुचारु संचालन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-55(1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियां, गया एवं भागलपुर के जिला भू अर्जन पदाधिकारी (अधिसूचित/प्रभारी) को प्राधिकार के निबंधक (Registrar) की पदेन शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

3. संबंधित जिला भू अर्जन पदाधिकारी (अधिसूचित/प्रभारी) प्राधिकार में पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का भी कार्य संपादित करेंगे।

4. प्राधिकार के निबंधक की नियमित नियुक्ति/पदस्थापन होने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(जय सिंह)

सचिव।

ज्ञापांक:- 1213

पटना, दिनांक:- 16.07.26

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/समाहर्ता/अपर समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियां, गया एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित समाहर्ताओं से अनुरोध है कि बिहार कोषागार संहिता के नियम 84 के प्रावधानों के तहत जिला भू अर्जन पदाधिकारी को प्राधिकार के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त करने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक:- 1213

सचिव।

पटना, दिनांक:- 16.07.26

प्रतिलिपि:- प्राधिकार के सभी पीठासीन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- 1213

सचिव।

पटना, दिनांक:- 16.07.26

प्रतिलिपि:- विभागीय आईटी०मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर यथास्थान रक्षित करने हेतु प्रेषित।

सचिव।

14/7/26